14/9/22 पत्रावली पर श्री वकील वादी एवं बहस प्रार्थना पत्र इस पर श्रवण की गयी बहस में प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र के अंकित भूमि का आवेदिका व अनावेदकगण के मध्य विधिवत बटवारा नहीं हुआ है वर्णित भूमि के आवेदिका का 1/6 हिस्सा व अनावेदक संख्या 1 व 2 का 1/6 हिस्सा [illegible] है। इसी कारण आवेदिका [illegible] अनावेदक आवेदिका के हिस्से की भूमि पर लठ के बला पर कब्जा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 11:22:53 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

ध्यान देने पर आभास है। अतः आवेदिका का प्रार्थना पत्र इस स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। आवेदिका कथित भूमि की रिकार्ड खातेदार है तथा अपनी भूमि में विधिवत विकास करने की अधिकारी है। उक्त विवेचना से आवेदिका का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदिका हाजा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को मूल दावे के निस्तारे तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम पंचायत पटवार हल्का धावसती के भूमि खसरा नं. 268 रकबा 1.21 हे. में मौके व रागस्थ रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली कैलेण्डर हो कर समय से रूबरू हो व दाखिल दफ्तर हो।

14

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 11:22:53 IST
Reason: SelfAttested